झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–22.08.2022 से दिनांक–24.08.2022 तक बोकारो एवं धनबाद जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. दिनांक–22.08.2022 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल, के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम।

- दिनांक–22.08.2022 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल के प्रखण्डों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 157 मुखिया में से 128 मुखियागण की उपस्थिति दर्ज की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो, सिविल सर्जन, बोकारो, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोकारो, अंचल अधिकारी, पेटरवार, अंचल अधिकारी गोमिया, अंचल अधिकारी, कसमार आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया के भूमिका का जिक्र किया गया।

2. दिनांक–23.08.2022 को अपराह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक बोकारो जिले के चास अनुमण्डल, के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम।

- दिनांक–23.08.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक बोकारो जिले के चास अनुमण्डल के प्रखण्डों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 92 मुखिया में से 74 मुखियागण की उपस्थिति दर्ज की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो, सिविल सर्जन, बोकरो, जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो, अनुमण्डल पदाधिकारी, चास अंचल अधिकारी, चास, अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चास, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दनकियारी आदि

उपस्थित रहे। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने विभाग से संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अध्यक्ष द्वारा इन योजनाओं के सुचारू एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन कराने में पंचायत के भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया। उनके द्वारा दुकान एवं पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समिति को सक्रिय करने का निदेश दिया गया।

3. दिनांक–24.08.2022 को अपराह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक धनबाद जिले के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम।

- दिनांक–24.08.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक धनबाद जिले के प्रखण्डों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 256 मुखिया में से 189 मुखिया की उपस्थिति दर्ज की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद, सिविल सर्जन, धनबाद, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद आदि उपस्थित रहे।

4. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था मुखिया पर ही टिकी हुई है। योजना संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि निचले स्तर पर निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है, ***"आप अधिकार जानेंगे, तभी अधिकार मांगेंगे"***। अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों को किट दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारीएवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषन उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियाओं से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें राशन तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा कि किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया है। मुखिया निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप मुखियागण नियमित रूप से समिति की बैठक करायें एवं बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की प्रति आयोग को भी दें। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टाचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में अथवा रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 या ईमेल–jharfoodcommission@gmail.com पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुखिया से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश/आपसी झगड़ा में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने

का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत में मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं उनका राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष नामक फंड के तहत् प्रत्येक पंयायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राज्य में 95 प्रतिशत PDS दुकान ऑनलाईन हो चुका है। **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** योजना के तहत् ऑनलाईन दुकान से सम्बद्ध कोई भी लाभुक देश भर में राज्य के किसी भी जिले के किसी भी प्रखण्ड अथवा पंचायत एवं किसी भी ऑनलाईन जनवितरण प्रणाली केन्द्र से राशन का उठाव कर सकता है। लाभुक द्वारा राशन के लिये अंगूठा लगाया जाता है, तो ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में अंकित मात्रा के अनुरूप उन्हें राशन दिलाना मुखियागण सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, तो डीलर अपवाद पंजी में संधारित करेंगे, इसमें मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। मुखियागण लाभुकों को बतायें कि किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठे का निशान नहीं लगायें, इससे राशन में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डीलर को सस्पेंड करने अथवा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लाभुकों को किस डीलर के

साथ संबद्ध किया गया, इसकी सूचना लाभुकों को ससमय दी जाए। ताकि लाभुकों को राशन निर्बाध रूप से मिल सके।

- प्रत्येक विद्यालय के बाहर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाने एवं मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू नहीं लगा हुआ हो एवं बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा हो, तो आप फोटो क्लिक कर जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी सूचना पट्ट में मेन्यू के अनुरूप दिये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित कराना एवं केन्द्र की निगरानी करना आप मुखिया की जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में जागरूक करने का भी कार्य आप मुखियागण को ही करना है। जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उनका ईलाज ***"कुपोषण उपचार केन्द्र" (MTC)*** में करने का प्रावधान है। बच्चे के ईलाज के दौरान यदि माँ भी बच्चे के साथ केन्द्र में रहना चाहती हों, तो उन्हें भोजन के लिए प्रतिदिन 100/– रू0 की राशि दी जाती है।

  सरकार द्वारा लाभुकों के लिए योजनाएँ बनाई जाती है, अनाज भिजवा रही है, किन्तु इसका लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। इसकी निगरानी आप मुखियागण को ही करना है। आपसे संवाद करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि जनता तक सरकार की योजनाएँ आपके माध्यम से पहुँच सके।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। झारखण्ड में जिस दिन आयोग का गठन हुआ, उस दिन को आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय भी लिया गया है। हर वर्ष आयोग स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर के मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।

5. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा बताया गया कि राज्य में अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं। उनकी जीवन को कैसे बेहतर बना सकें, उन्हें कैसे

सुदृढ़ कर सकें, इसके लिये हम सभी को आगे आना होगा। मुखिया पंचायत के सरकार हैं, आपसे संवाद का यही मुख्य उद्देश्य है कि समाज के गरीब एवं निचले स्तर तक के लोगों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ पहुँच सके। मुखियागण सशक्त होंगे तो समाज भी सशक्त होगा। लाभुकों तक खाद्यान्न की पूर्ति कराना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

- आज झारखण्ड राज्य में कई ऐसे घर हैं, जहाँ लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है एवं शहर की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। इसी उद्देश्य को धारातल में लाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया। सरकार ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले योजनाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करें।

6. बोकारो जिला के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित सभी योजनाओं से अवगत कराया गया। अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली योजनाएँ यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित शिकायतों का निष्पादन करने की जिम्मेवारी जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि उक्त योजना से सम्बन्धित शिकायतें जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करायें। आयोग के माध्यम से वाट्सएप्प एवं डाक के माध्यम से प्राप्त कुल 30 शिकायतों में से सभी का निष्पादन कर दिया गया है एवं पोर्टल में दर्ज 585 शिकायतों में से 583 शिकायतों को निष्पादित कर दिया गया है।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, चास द्वारा संबोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु मुखियागण को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप हम सभी को संकल्प लेना होगा कि योग्य लाभुकों तक योजना का लाभ पहुँच सके।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोई भी योजना तभी सफल होता है, जब जनप्रतिनिधि का सहयोग हो। बोकारो जिले में 1515 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित हो रही है। विद्यालय समिति में 16 सदस्य होते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के स्थानीय लोग भी होते हैं एवं समिति के अध्यक्ष एवं संयोजिका के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाता है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस में दिया जा रहा है। जिस दिन बच्चों को मध्याह्न भोजन किसी

कारणवश नहीं मिलता है, तो ऐसे में उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता है। किसी प्रकार की शिकायत करने अथवा जानकारी प्राप्त करने हेतु mdmreport.jharkhand.gov.in पोर्टल में देख सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अथवा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष कि मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

- सिविल सर्जन, बोकरो द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् लाभुकों को निःशुल्क जाँच एवं दवाई की सुविधा दी जा रही है। गोमिया, चास, पेटरवार एवं तेनुघाट प्रखण्डों में 4 कुपोषण उपचार केन्द्र हैं, जहाँ अति कुपोषित बच्चों का ईलाज किया जाता है एवं नियमित रूप से टीकाकरण भी किया जा रहा है।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो द्वारा बताया गया कि जिले में 2256 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् PHH कार्डधारी को प्रति सदस्य को 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन, एवं AYY कार्डधारियों को 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य योजना के तहत् 1 रू0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

7. बोकारो जिला के बेरमो एवं चास अनुमण्डल के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–कई लोगों का अंगूठा का निशान मशीन में नहीं लग पाता है, जिस कारण उन्हें राशन नहीं मिल पाता है।

  उत्तर–सभी डीलर के पास अपवाद पंजी होता है, उसमें लाभुक का विवरण संधारित कर राशन देने का प्रावधान है। डीलर किसी भी लाभुक को अनाज देने से मना नहीं कर सकता है।
- प्रश्न–लाभुकों द्वारा हरा राशन कार्ड के लिये ऑनलाईन आवेदन किया गया है, किन्तु कार्ड नहीं बन पाया है

  उत्तर–यदि लाभुक सुयोग्य पात्र है तब, जब तक लाभुक का कार्ड नहीं बन जाए, तब तक मुखिया अपने फंड से लाभुक को राशन उपलब्ध करायें।

- प्रश्न–यदि कोई लाभुक किसी कारणवश किसी माह के राशन का उठाव नहीं कर पाता है, तो डीलर द्वारा अगले माह बकाया राशन नहीं देता है।

  उत्तर–पहले ऐसा प्रावधान था कि राशन का उठाव उसी माह करना पड़ता था, किन्तु अब ऐसा नहीं है। आप इस महीने का राशन दूसरे माह भी ले सकते हैं, डीलर मना नहीं कर सकता है। डीलर के ऐसा करने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ।

- प्रश्न–बाराडीह पंचायत में जनवितरण प्रणाली के दुकानों में बोर्ड लगा हुआ नहीं रहता है, इससे राशन बांटने की तिथि एवं समय की जानकारी नहीं मिल पाती है।

  उत्तर–वैसे दुकानों का फोटो क्लिक कर जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजें। आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस प्रकार की समस्या को 15 दिनों के अंदर दूर करने का निर्देश दिया गया।

- प्रश्न–डीलर द्वारा अनाज का उठाव करने के बाद मुखिया से हस्ताक्षर लिया जाता था, जो अब नहीं लिया जाता है। मुखिया से हस्ताक्षर कराने पर राशन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती थी।

  उत्तर–आप निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। यदि आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो अपनी बातें लिखित रूप में दें, आपकी बातें सरकार तक पहुँचाई जाएगी।

- प्रश्न–डीलर द्वारा मशीन खराब होने की बात कह कर राशन नहीं दिया जाता है।

  उत्तर–आप आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें, आयोग इस पर कार्रवाई करेगा।

- प्रश्न–प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर भी जागरूकता लाने के लिए इस पर कार्य करने की आवश्यकता है।

  उत्तर–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में बैठक कर समस्या का निदान करायें।

- प्रश्न–डीलर द्वारा कम राशन दिया जाता है एवं मशीन से निकलने वाला रसीद भी नहीं दिया जाता है।

  उत्तर–ऐसे मामलों में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें, आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- प्रश्न–राशन लेने के लिये काफी दूर जाना पड़ता है। दो माह के राशन के स्थान पर केवल एक माह का ही राशन मिलता है।

  उत्तर–लिखित रूप में शिकायत दें, आयोग इस पर कार्रवाई करेगा।

- प्रश्न–पंचायत–तांतरी दक्षिणी, प्रखण्ड–जरीडीह का डीलर श्री सुजीत अग्रवाल राशन वितरण में मनमानी करता है। श्रीमती लक्ष्ती देवी आंगनबाड़ी केन्द्र अपने घर में चलाती है।

  उत्तर–आप लिखित में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें, आयोग इस पर कार्रवाई करेगा।

- प्रश्न–चंदनकियारी प्रखण्ड के सिमलिया पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र में बोर्ड लगा हुआ नहीं है एवं मेन्यू भी प्रदर्शित किया हुआ नहीं है। केन्द्र समय पर नहीं खुलता है। उस क्षेत्र के डीलरों द्वारा राशन कम दिया जाता है, एवं धमकी दिया जाता है।

  उत्तर–सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बोर्ड एवं मेन्यू प्रदर्शित करने एवं जनवितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश आयोग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिया गया।

- प्रशन–प्रखण्ड–चास, चन्दाहा पंचायत में कोरोना काल के समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिला है एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित राशन भी कम मिलता है।

  उत्तर–इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

- प्रश्न–चन्दनकियारी प्रखण्ड के अमलाबाद पंचायत में चार आंगनबाड़ी केन्द्र है, उनमें से तीन केन्द्र खुलता ही नहीं है।

  उत्तर–इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को कार्रवाई करने निर्देश दिया गया।

8. धनबाद जिला के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–15 (1) के तहत् अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदानिहित्त किया गया है। जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर पर किया जा रहा है।

- जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद द्वारा बताया गया कि जिले के 1696 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित योजनाएँ संचालित हैं, जहाँ मेन्यू के आधार पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दी जा रही है। मध्याह्न भोजन में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं मापदंड की निगरानी मुखियागण से करने का अनुरोध किया गया। साथ ही अपने–अपने क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का भी कार्य करें, ताकि अधिक–अधिक से बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बताया गया कि बच्चों को प्रतिदिन Hot Cook Meal एवं गर्भवती महिलाओं को Ready to Eat के तहत् THR के रूप में दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् प्रथम गर्भवती महिलाओं को 5,000/– रू0 की राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसका ऑनलाईन निबंधन से सम्बन्धित कार्य सुपरवाइजर द्वारा कराया जाता है।

- सिविल सर्जन, धनबाद द्वारा बताया गया कि जिले में 3 कुपोषण उपचार केन्द्र गोविन्दपुर, तोपचांची एवं टुंडी प्रखण्ड में अवस्थित है, जहाँ अति कुपोषित बच्चों का ईलाज किया जाता है। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर, उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्त्ती कराने में सहयोग करें।
- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चास द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् PHH कार्डधारी को प्रति सदस्य को 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन, एवं AYY कार्डधारियों को 1 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य योजना के तहत् 1 रू0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 रू0 की दर से प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

9. धनबाद जिला के के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें कम अनाज मिलता है, डीलर को समझाने पर भी नहीं मानता। इस सम्बन्ध में दिनांक–18.08.2022 को जिला में आवेदन भी दिया गया।

  उत्तर–यदि 15 दिनों के अंदर आपके शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें।

- प्रश्न–टुंडी पंचायत के राशन कार्ड सं0–202001738129 में केवल एक ही लाभुक है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं इस कार्ड से राशन का उठाव डीलर द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक–14.03.2022 को जिला में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

  उत्तर– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को मामले को देख कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों की शिकायत अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करने का निदेश दिया गया। कार्रवाई नहीं होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें।

- प्रश्न–कई ऐसे सम्पन्न परिवार हैं, जिनके पास राशन कार्ड है। उनका कार्ड सरेंडर करवाने हेतु प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

  उत्तर–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायतों में कार्डधारियों की सूची सम्बन्धित मुखिया को उपलब्ध कराया जाए। ग्राम सभा में अयोग्य पात्र का राशन कार्ड रद्द करने हेतु प्रस्ताव पारित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा जा सकता है।

- प्रश्न–बलियापुर प्रखण्ड में सभी डीलर के पास समान राशन कार्ड हो।

  उत्तर–आप लिखित में इसकी सूचना अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दें, इस पर कार्रवाई की जाएगी।

- प्रश्न–केलियासोल प्रखण्ड के कलियासोल पंचायत में चार डीलर हैं। यदि किसी कार्डधारी की बेटी की शादी होती है, तो डीलर द्वारा उस बेटी का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है।

  उत्तर–आप लिखित में इसकी सूचना अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दें, कार्रवाई नहीं होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।

- प्रश्न–बाघमारा प्रखण्ड के काण्ड्रा पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र में समय पर भोजन नहीं मिलता है।

  उत्तर–इस सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

- प्रश्न–आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं को THR के रूप में दिये जाने पैकेट की गुणवत्ता काफी खराब रहती है, महिलाएँ उसे नहीं खा पाती है।

  उत्तर–मुखिया से अनुरोध किया गया कि आप पैकेट आयोग को उपलब्ध करायें, आयोग इसकी लैब टेस्टिंग करायेगा।

- प्रश्न–आंगनबाड़ी सेविका को पाँच माह से राशि नहीं मिला है।

  उत्तर–इस सम्बन्ध में सरकार से पत्राचार की गई है।

<u>नोटः–</u>

- बोकारो जिला में मुखिया से संवाद के दौरान आयोग को कुल पाँच शिकायत प्राप्त हुए।
- धनबाद जिले में जनसुनवाई के दौरान आयोग को 3 शिकायत प्राप्त हुए।

इसके साथ बोकारो एवं धनबाद भ्रमण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

02/09/

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Bokaro & Dhanbad\Field visit of Bokaro & Dhandbad.docx11